फर्दअहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :—अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी :— बनाम **अप्रार्थीगण**

रूस्तम शाह पुत्र बाबु शाह
जाति सांई मुस्लिम, निवासी देवली कला,
तहसील रायपुर, जिला पाली

1. चिराग शाह पुत्र बाबु शाह
2. इंसाफ शाह पुत्र बाबु शाह
3. इकबाल शाह पुत्र बाबु शाह
4. चांद शाह पुत्र बाबु शाह
5. बाबु शाह पुत्र भोले शाह
   समस्त जातिगण सांई मुस्लिम, निवासीगण देवली कलां, तहसील रायपुर, जिला पाली
6. ग्राम पंचायत देवली कलां जरिये सरंपच ग्राम पंचायत देवली कला, तह. रायपुर, जिला पाली

किस्म मुकदमा :: पंचायत निगरानी स.— 38 / 2018
(आरसीएमएस नम्बर 2018 / 00264)
धारा 97 राज.पंचायती राज अधिनियम 1994

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.05.2018	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत देवली कलां द्वारा मिसल संख्या 02 / 2006—07, प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 20.05.2007 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी चिराग शाह पुत्र बाबु शाह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 005977 दिनांक 20.05.2007 के विरूद्व पेश की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक **30.05.2018** को पेश हो। **अति. जिला कलेक्टर,पाली**	1044-45 15/5/18
30/5/18	अधिवक्ता मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी मुल्तवी होकर पत्रावली दिनांक 7/6/2018 को पेश हो।	रप ता 31/5
7/6/2018 अति. जिला कलेक्टर, पाली	प्रार्थी उप० अप्रार्थी उप० पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प रायपुर में पेश हुई। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाती है, तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत देवली कलां द्वारा मिसल सं. 02/2006-07, प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 20/5/2007 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 005977 दिनांक 20/5/2007 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई	

अतः पत्रावली बाद पालना फैसला में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलेक्टर, पाली